

मध्यप्रदेश विधान सभा

जून - अगस्त, 1991 सत्र

वैनिक कार्य सूची

गुरुवार, विनांक 4 जुलाई, 1991 (आषाढ़ 13, 1913)
समय 10.30 बजे

1- प्रश्नोत्तर.

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेगे तथा उनके उत्तर दिये जायेगे.

2- पत्रों का पटल पर रखा जाना.

श्री मोहम्मद गन्नी औसारी, राज्यमंत्री, मछली पालन, मध्यप्रदेश राज्य मतस्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा ७० की उपधारा (३) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मतस्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 पटल पर रखेगे.

3- नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण.

(1) श्री रुग्नाथ सिंह आंजना, सदस्य, रत्नाम जिले के ग्राम पिंगराता की एक बुड़ी महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यानाकर्षित करेंगे.

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, मुरैना जिले के विजयपुर धानान्तर्गत लूट की घटित घटना की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4- प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

श्री केशर सिंह चौहान, सभापति, याचिका समिति का चतुर्थ एवं वंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5- याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) श्री नन्द कुमार पटेल, सदस्य-

(क) तहसील खरसिया के ग्राम मदनपुर मे सार्वजनिक भवन व हरिजन कुटी निर्माण कराने, तथा

(ख) खरसिया के ग्राम हालाडूली मे हाईस्कूल खोलने,

(2) डा. गोविन्द सिंह, सदस्य -

(क) जिला भिंड परगना लहार के ग्राम धौरका मे खरंजा एवं नाली निर्माण कराने तथा

(ख) ग्राम बड़ा गांव, कस्तल टोला, गौरा मे हैंडपम्प लगाने के संबंध मे याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6- वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक पर सामान्य अर्चा (क्रमशः)

भोपाल:

विनांक 3 जुलाई, 1991

विश्वेन्द्र मेहता,
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा